मातृभाषा

इस सत्र में हम महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। एक तरफ देश में मातृभाषा का महत्व कम होता दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरी तरफ आज दुनिया के लगभग 170 देशों में किसी न किसी रूप में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। विश्व के 32 देशों के विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। इंग्लैण्ड के सेंट जेम्स विद्यालय में 6 वर्ष तक संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। वास्तव में भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से चुनौती नहीं है बल्कि अंग्रेजी मानसिकता वाले भारतीयों से है। हमें हिन्दी की या भारत की किसी भाषा की वकालत नहीं करनी है, लेकिन राष्ट्रहित की दृष्टि से जो विज्ञान एवं तर्कसम्मत है, उसकी वकालत करनी है।

विश्व में विगत 40 वर्षों में 150 अध्ययनों के निष्कर्ष में कहा गया है कि मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बालक को गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते हैं। भारतीय वैज्ञानिक सी.वी.श्रीनाथ शास्त्री ने अनुभव किया है कि अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले की तुलना में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े छात्र, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र की डॉ0 नन्दिनी सिंह के अध्ययन (अनुसंधान) के अनुसार, अंग्रेजी की पढ़ाई से मस्तिष्क का एक ही हिस्सा सक्रिय होता है, जबकि हिन्दी की पढ़ाई से मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय होते हैं। सर आइजेक पिटमैन ने कहा है कि संसार में यदि काई सर्वाङ्ग पूर्ण लिपि है तो वह देवनागरी है। प्रसिद्ध लेखक जार्ज बर्नाड शॉ ने अपने नाटक 'पगमेलियन' में कहा है कि अंग्रेजी का ठीक उच्चारण हो ही नहीं सकता। विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई, आधुनिकता के भी विरूद्ध है, क्योंकि आधुनिक-ज्ञान, समाज के सभी वर्ग तक अपनी भाषा में ही पहुंच सकता है।

मातृभाषा सीखने, समझने एवं ज्ञान की प्राप्ति में सरल है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम ने स्वंय के अनुभव के आधार पर कहा है कि ''मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।'' अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ने हेतु पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि मैं 60 वर्ष से अंग्रेजी का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, परन्तु बोलने में हिन्दी जितनी सहजता उसमें नहीं आ पाती।

आज यह भी तर्क दिया जाता है, कि बिना अंग्रेजी के व्यक्ति या देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी महापुरूष ने यह बात नहीं कही है। अमरीका के बिल क्लिंटन से बराक ओबामा तक के राष्ट्रपतियों ने अपने छात्रों को सम्बोधित करते हुए यह अवश्य कहा, कि गणित और विज्ञान की पढ़ाई अच्छी करिए अन्यथा भारत और चीन के छात्र आपको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहा।

'नीपा' के पूर्व निदेशक श्री प्रदीप जोशी के अनुभव के अनुसार विश्व के ख्याति प्राप्त अणुवैज्ञानिक एवं जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय के कुलपति अंग्रेजी नहीं जानते। यह भी तर्क दिया जाता है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में विदेश जाने हेतु अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। भारत से हर वर्ष दो लाख लोग विदेश जाते हैं। उसमें भी सभी अंग्रेजी भाषा वाले देशों में नही जाते। इतने लोगों के लिए करोड़ो छात्रों पर अनिवार्य रूप से अंग्रेजी थोपना, यह अन्याय एवं अत्याचार नहीं तो और क्या हैं। वैसे भी कोई भाषा सीखना कोई कठिन कार्य नहीं है। किसी भी भाषा को 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं। दूसरी और मात्र अंग्रेजी के ज्ञान के कारण अन्य भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध कराने का लाभ अपने देश को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। रशियन, जर्मन भाषा में विज्ञान की पुस्तकें अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अच्छे दार्शनिक जर्मन में हुए हैं। काव्य- साहित्य एवं पुरातत्व का अधिक साहित्य फ्रांस में है। विश्व के आर्थिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न ऐसे अमरीका, रशिया, चीन, जापान, कोरिया, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजरायल आदि देशों में जन समाज, शिक्षा एवं शासन-प्रशासन की भाषा वहां की अपनी भाषा है।

यह भी तर्क दिया जाता है कि उच्च शिक्षा एवं विशेषकर विज्ञान और तकनीकी विषयों की पुस्तकें अपनी भाषा में नहीं है। किसी भी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु हमारी मानसिकता भी इसी प्रकार की

बनी है कि अंग्रेजी का साहित्य ही श्रेष्ठ है और उसकी नकल करके कार्य चलाया जा रहा है। इस कारण से मौलिक चिंतन के आधार पर अपने देश की आवश्यकतानुसार अनुसंधान कार्य बहुत ही कम हो रहा है। हमारी अच्छाइयों और विशेषताओं का महŸव भी हमको ध्यान में नही आता। प्रयाग का सफल कुभंमेला या मुम्बई का डिब्बा प्रबंधन, ये भी एक श्रेष्ठ प्रबंधन के नमूने हैं। यह बात जब विदेश से लोग इस पर अनुसंधान करने आए तब हमारे विद्वानों को ध्यान में आई।

भारत के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की है। जगदीश चन्द्र बसु, रामानुजन, डॉ. अब्दुल कलाम आदि। वर्तमान में विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, मातृभाषा में पढ़ने वाले ही अधिक हैं।

शिक्षा के विभिन्न आयोगों एवं देश के महापुरूषों ने भी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे सुझाव दिये है। इजराइल के 16 लोगों ने नोबल पुरस्कार प्राप्त किये हैं। सभी ने अपनी मातृभाषा हिब्रु में ही कार्य किया है।

पिछले 175 वर्षों की अंग्रेजी शिक्षा से देश को काफी नुकसान हो रहा है। बालकों के मस्तिष्क पर अंग्रेजी के कारण बोझ बढ़ा है। हमारे यहां अंग्रेजी और गणित में सबसे अधिक बच्चे फेल होते हैं। यह एक प्रकार से उन पर अत्याचार है। इस कारण से उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। वे न तो ठीक से अंग्रेजी सीख पाते हैं और न ही मातृभाषा। समय, परिश्रम और धन का भी अपव्यय हो रहा है। शिक्षा, सार्वत्रिक एवं सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। विदेशी भाषा में जानकारी या कुछ मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन ज्ञान-सृजन नहीं हो सकता। शोधकार्य में हम पिछड़ रहे हैं। शोधकार्य और साहित्य सृजन अंग्रेज़ी में होने से अपने देश के लोगों के बदले विदेश के लोग ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश के विद्वान विदेशों पर निर्भर हो रहें हैं। अंग्रेजी, उच्च वर्ग की भाषा है और भारतीय भाषाएँ सामान्य लोगों की हैं, जिसके कारण देश में दो वर्ग खड़े हो गए हैं। विदेशी भाषाओं में मात्र अंग्रेजी के ज्ञान के कारण हम सारी दुनिया को अंग्रेजी चश्में से ही समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया को ठीक से समझना है तो आठ भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। जैसे - रशियन, चाइनीज (मेण्डारिन), जापानी, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी है। अंग्रेजी का अधिक प्रभुत्व (प्रचलन) उन्ही देशों में ज्यादा है जो कभी इंग्लैण्ड की सरकार के अधीन (गुलाम) थे। अन्य देश अपनी-2 भाषा को महत्व देते है। एक हम है कि अंग्रेजी की गुलामी ढ़ोते चले आ रहे हैं।

यह कहना ठीक ही लगता है कि अंग्रेजी शोषण की भाषा बन गई है। चिकित्सा, न्याय एवं शासन-प्रशासन के स्तर पर सर्वत्र अंग्रेजी के प्रयोग के कारण भारत के 95 प्रतिशत लोग उठे समझ नहीं पाते। विदेशी अंग्रेजी पुस्तकों का देश में 2000 करोड़ रूपये का व्यवसाय है। फ्रांसीसी, जापानी, जर्मनी बोलने वाले 2 प्रतिशत से कम लोग होने के बावजूद उनकी दुनिया में प्रतिष्ठा है, जबकि हिन्दी बोलने वाले (लगभग 70 करोड़) बहुत अधिक होने के बाद भी हम दुनिया में अपमानित हैं। उदाहरण- हाल ही के दिनों में अमरीका एवं आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की प्रताड़ना की अनेक घटनाएँ सामने आ रही हैं ।

भाषा संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका है। भाषा पतन से संस्कृति व संस्कारों का भी पतन हो रहा है,। भाषा बदलने से मूल्य भी बदल जाते हैं। भाषा संस्कृति का अधिष्ठान है। वर्तमान में भारत में जिस प्रकार अंग्रेजी का स्थान है, उसी प्रकार सन् 1362 तक ब्रिटेन में फ्रांसीसी का स्थान था। फिनलेन्ड में 100 वर्ष पूर्व स्वीडिश भाषा चलती थी, रशिया में जार के जमाने में फ्रांसीसी भाषा का दबदबा था। इन सभी देशों में वहां की जनता एवं शासकों की इच्छा शक्ति के कारण, आज वहां अपनी भाषाओं में सारा कार्य हो रहा है, आवश्यकता है अपने देश में जनता में इच्छाशक्ति जागृत करने की। इसकी शुरूआत स्वयं से करनी पड़ेगी। सर्वत्र अपने हस्ताक्षर अपनी भाषा में करें। किसी भी भाषा में लिखें या बोलें तब 'भारत' - शब्द का प्रयोग करें, इन्डिया का नहीं।

कार्य व व्यवहार में अपनी भाषा का ही उपयोग करें। अपने बालकों को मातृभाषा में ही पढ़ाएँ। अपने संगठन, संस्था के स्तर पर सारा कार्य व्यवहार अपनी ही भाषा में करें।

देशव्यापी जनजागरण हेतु प्रांतीय /राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन एवं साहित्य का सृजन किया जाए। भारतीय भाषाओं के अनुसंधान हेतु शोध केन्द्र स्थापित किये जाएं। दक्षिण के राज्यों में हिन्दी सिखाने हेतु प्रशिक्षण वर्गों के आयोजन किए जाएं। हाल ही में गुजरात एवं आन्ध्र प्रदेश में आयोजित मातृभाषा जागरण अभियान, अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाए। देश में भारतीय भाषाओं पर कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाए। देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का कार्य, हिन्दी और भारतीय भाषाओं में हो, इस हेतु अधिवक्ताओं को जागृत करने की योजना बने। भाषा के कानून का जहां भी उल्लंधन होता है, वहां कानूनी स्तर पर भी कार्रवाई किये जाने की योजना बने। इसमें सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। देश की संसद एवं विधान सभाओं में भी इस विषय पर बहस हो, इस हेतु विचार धारा से उठकर विभिन्न राजनीतिक पक्षों में भारतीय भाषाओं पर निष्ठा रखने वाले सांसदों एवं विधायकों को जोड़ने की योजना बनाई जाए। इस प्रकार समग्रता और सत्यनिष्ठा के साथ देशव्यापी अभियान/आन्दोलन खड़ा किया जाए। तभी भारतीय भाषाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

देश बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। शिक्षा बदलनी है तो भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करना होगा और शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं का माध्यम, भारतीय भाषाओं को बनाना होगा तथा भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में से अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को हटवाकर ही दम लेना होगा। ऐसा राजभाषा के कार्यान्वयन पर अधिक जोर देकर ही किया जा सकता है।

(विद्या भारती, अ.भा.शिक्षा संस्थान की चिन्तन बैठक, कुरुक्षेत्र में दिनांक 19 फरवरी 2011 को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव श्री अतुल कोठारी द्वारा दिये गये वक्तव्य पर लेख)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖